



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-18062026-273560
CG-DL-W-18062026-273560

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 8] नई दिल्ली, जून 7—जून 13, 2026, शनिवार/ज्येष्ठ 17—ज्येष्ठ 23, 1948
No. 8] NEW DELHI, JUNE 7—JUNE 13, 2026, SATURDAY/JYAISHTHA 17—JYAISHTHA 23, 1948

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4 PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मई, 2026

का.नि.आ. 18.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना), नौसेना आयुधादि निरीक्षण संगठन, तकनीकी पर्यवेक्षण कर्मचारीवृंद (मैकेनिक और गोलाबारूद तथा विस्फोटक सामग्री) समूह “ख” भर्ती नियम 2017 को, जहां तक उनका संबंध चार्जमैन (मैकेनिक) और चार्जमैन (गोलाबारूद और विस्फोटक सामग्री) से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, नौसेना में, चार्जमैन (मैकेनिक) और चार्जमैन (गोलाबारूद और विस्फोटक सामग्री) समूह “ख” पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय (नौसेना), नौसेना आयुधादि निरीक्षण संगठन, चार्जमैन (मैकेनिक) और चार्जमैन (गोलाबारूद और विस्फोटक सामग्री), समूह “ख” भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना** - इन नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर यह नियम लागू होंगे।

3. **संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर:** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ, आदि:-** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ और उससे संबन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता:-** वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुग्रेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति:-** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों कि बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति:-** इन नियमों कि कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम ।	पद संख्या ।	वर्गीकरण ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा ।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. चार्जमैन (मैकेनिक)	206* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित अननुसचिवीय	स्तर-6 (35500-112400 रु)	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
(7)	(8)	(9)
मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मैकेनिकल इंजीनीयरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनीयरी या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनीयरिंग या उत्पादन इंजीनीयरिंग में डिप्लोमा; टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन करणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष टिप्पण - केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविहित, परिवीक्षा के सफलतापूर्वक पूरा किए जाने के लिए, कम से कम दो सप्ताह का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(10)
सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियाँ केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या विश्वविद्यालयों या अर्द्ध सरकारी या स्वायत्त संगठन के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी, (क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सहश पद धारण कर रहे हों; (ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 29200-92300 रु या समतुल्य नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात क्षेणी में पाँच वर्ष सेवा की हो; और (ii) और स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव रखता हो।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1 भारतीय नौसेना का कमोडोर या कैप्टन की रैंक का अधिकारी - अध्यक्ष ;	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

	2 भारतीय नौसेना का कमांडर या समतुल्य रैंक का एक अधिकारी सदस्य ; 3 विभाग के बाहर से कमांडर की रैंक का एक अधिकारी या समतुल्य रैंक का सिविलियन अधिकारी — सदस्य ।	
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. चार्जमैन (गोलाबारूद और विस्फोटक सामग्री)	172* (2026) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित अननुसचिवीय	स्तर-6 (35400-112400 ₹)	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) । टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

(7)	(8)	(9)
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायनिक इंजिनियरी में डिप्लोमा। टिप्पण 1:- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष टिप्पण - केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविहित, परिवीक्षा के सफलतापूर्वक पूरा किए जाने के लिए, कम से कम दो सप्ताह का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा ।

(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (₹ 25500-81100) में परीक्षक जिसने श्रेणी में दस वर्ष सेवा की हो और जिन्होंने अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण की हो और दो से चार सप्ताह का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हों। टिप्पण 1. पोषक प्रवर्ग में मौजूद विद्यमान जो की परीक्षक है, कि प्रोन्नति के पश्चात, 100 प्रतिशत रिक्तियों को सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगी।

	टिप्पण 2. जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।
--	---

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1 भारतीय नौसेना का कमोडोर या कैप्टन की रैंक का अधिकारी - अध्यक्ष ; 2 भारतीय नौसेना का कमांडर या समतुल्य रैंक का एक अधिकारी - सदस्य ; 3 विभाग के बाहर से लेफ्टिनेंट कमांडर की रैंक का एक अधिकारी या समतुल्य रैंक का सिविलियन अधिकारी - सदस्य । समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1 भारतीय नौसेना का कमोडोर या कैप्टन की रैंक का अधिकारी - अध्यक्ष ; 2 भारतीय नौसेना का कमांडर या समतुल्य रैंक का एक अधिकारी - सदस्य ; 3 विभाग के बाहर से लेफ्टिनेंट कमांडर की रैंक का एक अधिकारी या समतुल्य रैंक का सिविलियन अधिकारी - सदस्य ।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. सी.पी(एनजी)/2817/टी एस एस/एनएआईओ/भर्ती नियम/]

ए. पी. हरीनारायणन, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th May, 2026

S.R.O. 18.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Integrated Headquarters Ministry of Defence(Navy), Naval Armament Inspection Organisation, Technical Supervisory Staff (Mechanic and Ammunition and Explosive) Group 'B' Recruitment Rules, 2017, in so far as they relate to the post of Chargeman (Mechanic) and Chargeman (Ammunition and Explosive), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Chargeman (Mechanic) and Chargeman (Ammunition and Explosive), in Navy, Ministry of Defence, namely:—

- Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Defence (Navy), Naval Armament Inspection Organisation, Chargeman (Mechanic) and Chargeman (Ammunition and Explosive), Group 'B' posts, Recruitment Rules, 2026.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Application.**— These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the schedule annexed to these rules.
- Number of posts, classification and level in pay matrix.**— The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.
- Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification.**— No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
 (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the posts.	Number of posts.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Chargeman (Mechanic).	206* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400).	Not applicable.	Not exceeding thirty years (Relaxable for the Government servants up to five years of age in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note :The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Diploma in Mechanical Engineering or Electrical Engineering or Electronics Engineering or Production Engineering from a recognised University or Institute. Note 1 : The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualifications regarding experience are relaxable on the discretion of the Staff Selection Commission or	Not applicable.	Two years. Note : There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for direct recruits on successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	By direct recruitment. Note : Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government, (a) (i) holding analogous posts on a regular basis; or (ii) with six years service rendered after appointment to the posts on a regular basis in level- 5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300) or equivalent in the parent cadre or

competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission or competent authority, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite qualification are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			department; (b) possessing educational qualification and experience prescribed for direct recruits under column (7).
--	--	--	---

In case of recruitment by promotion or by absorption/deputation, grades from which promotion or absorption/deputation to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Officer of the rank of Commodore or Captain of Indian Navy - Chairperson; 2. Officer of the rank of Commander or Officer of equivalent rank of Indian Navy - Member; 3. Officer of the rank of Commander or Civilian Officer of equivalent rank of Indian Navy, unconnected with department - Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Chargeman (Ammunition and Explosive).	172* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted Non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-11240).	Selection.	Not exceeding thirty years of age. (relaxable for the Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note : The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Diploma in Chemical Engineering from a recognised University or Institution. Note 1: The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection	Not applicable.	Two years. Note : There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for direct recruits on successful	By promotion, failing which by direct recruitment.	Promotion: Examiner in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) with ten years regular service in the grade and who have passed the departmental qualifying test and having successful completion of two to four weeks of induction training. Note 1 : Subsequent to promotion of existing incumbents in feeder grade i.e. Examiner, the 100 percent vacancies in

Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable on the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission or competent authority, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite qualification are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.		completion of probation as prescribed by the Central Government.		the post shall be filled by Direct Recruitment. Note 2 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.
---	--	--	--	---

(12)	(13)
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Officer of the rank of Commodore or Captain of Indian Navy - Chairperson; 2. Officer of the rank of Commander or Officer of equivalent rank of Indian Navy - Member; and 3. Officer of the rank of Lieutenant Commander or civilian officer of equivalent rank of Indian Navy, unconnected with department - Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Officer of the rank of Commodore or Captain of Indian Navy - Chairperson; 2. Officer of the rank of Commander or Officer of equivalent rank of Indian Navy - Member; 3. Officer of the rank of Lieutenant Commander or civilian officer of equivalent rank of Indian Navy, unconnected with department - Member.	
--	--

[F. No. CP(NG)/2817/TSS/NAIO/RR]

M.P. HARINARAYANAN, Under Secy.